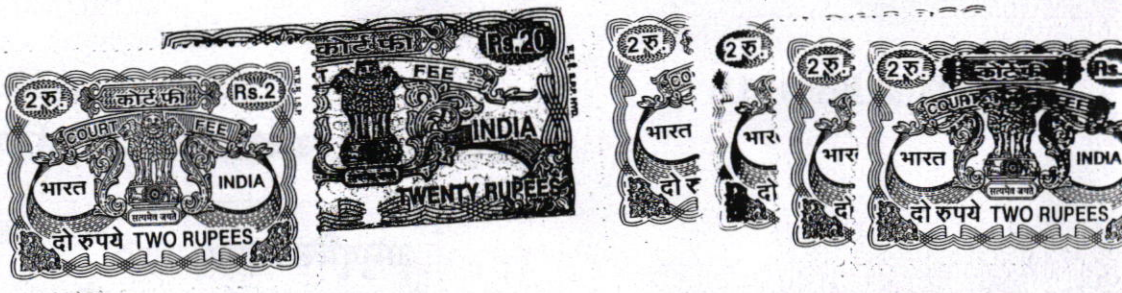

28

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी Rs.20 FEE INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय रेवेन्यु बोर्ड आफ ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /17–18 निगरानी

निगरानी - 3869/2018/मंदसौर/भू.रा.

1.गीताबाई बेवा रामलाल जी जाति लोहार उम्र 70 साल धंधा खेती
2.गेन्दालाल पिता रामलाल जी जाति लोहार उम्र 48 साल धंधा खेती
3.तुलसीबाई पिता रामलाल जी जाति लोहार उम्र 46 साल धंधा खेती
4.शारदाबाई पिता रामलाल जी जाति लोहार उम्र 42 साल धंधा खेती
5.शान्तिबाई पिता रामलाल जी जाति लोहार उम्र 40 साल धंधा खेती
सभी निवासी ग्राम चॉदाखेडी तहसील व जिला मन्दसौर म.प्र. ——प्रार्थीगण

श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा आज दि. 21-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र.

बनाम

1.म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 आकोदडा तहसील दलोदा
2.कमलाबाई पति भेरूलाल जी जाति नाई उम्र 60 साल धंधा खेती
निवासी चॉदाखेडी तहसील दलोदा जिला मन्दसौर म.प्र. ——विपक्षीगण

O. P. Sharma Adv. 21-6-18

निगरानी तहत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता 1959

बनाराजी प्र.क. 28 अ 12/18 में राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 आकोदडा तहसील दलोदा जिला मन्दसौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.5.18 व 23.5.18 से दुखी होकर निर्धारित न्याय शुल्क पर निर्धारित समय अवधि में निगरानी पेश है।:–

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्न निगरानी ज्ञाप पेश है:–

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

1. यह कि विपक्षी क 2 के द्वारा एक आवेदन पत्र गॉव चॉन्दाखेडी तहसी दलोदा जिला मन्दसोर की भुमि सर्वे नं. 633/942 के सीमाकंन बाबत पेश कि गया। जो उक्त आवेदन के दस्तावेज भी त्रुटिपुर्ण होकर विधि एवं प्रकिया विपरित थे। फिर भी राजस्व निरीक्षक के द्वारा उसे ग्राहय किया गया। ओर बि विधि एवं प्रकिया को अपनाते हुवे भी आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया त प्रार्थीगण को सीमांकन की कोई सुचन नही दी एवं सीमांकन किस प्रकार कि गया मशीन से या जरीफ से इस बाबत भी पंचनामे एवं आदेश में उल्लेख न होने से आदेश एवं सिमांकन निरस्त किये जाने योग्य है। एवं अन्य निम्न कार के आधार पर निगरानी ज्ञाप पेश है।

2

//निगरानी के कारण //

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3869/2018/मन्दसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि सीमांकन कार्यवाही आवेदकगण जो कि सरहदी काश्तकार हैं, उनको सूचना दिए बिना की गई है। जिसकी पुष्टि संलग्न सूचना-पत्र से होती है। ऐसी स्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि करने में राजस्व निरीक्षक द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है। अतः आलोच्य आदेश इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे सीमांकन की कार्यवाही सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर संहिता के प्रावधानों के तहत विधिवत करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	